1	2	3	4	5	6
8.	Jammu & Kashmir	123	Nil	5450	Nil
9.	Karnataka	567	500395	Nil	9800
10.	Kerala	3	Nil	Nil	Nil
11.	Madhya Pradesh	1276	527000	28000	Nil
12.	Maharashtra	2624	456000	17000	6000
13.	Manipur	42	65890	Nil	Nil
14.	Meghalaya	50	1245	200	Nil
15.	Mizoram	99	5058	Nil.	2000
16.	Nagaland	24	Nil	7340	Nil
17.	Orissa	992	40472	Nil	Nil
18.	Rajasthan	910	326463	Nil	25550
19.	Sikkim	2	30000	Nil	Nil
20.	Tamilnadu	19	71500	Nil	Nil
21.	Tripura	32	17995	425	Nil
22.	Uttar Pradesh	1141	80305	25000	Nil
23.	West Bengal	39	17373	Nil	Nil
24.	A & N. Islands	18	369	Nil	Nil
25.	D & N. Haveli	6	1084	Nil	Nil
26.	Daman & Diu	1	Nil	Nil	Nil
27.	Lakshadweep	1	Nil	300	Nil
	TOTAL :	10631	2681035	93365	53900

Irregularities being Indulged in by B.I.S. Officials

1754. SHRI GAYA SINGH:
SHRI N.E. BALARAM:

Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the alleged malpractices and irregularities in granting I.S.I. marks by some officials of the Bureau of Indian Standard New Delhi to products which do not satisfy the I.S.I. standards;

(b) if so, what are the details in this regard;

(c) whether any enquiry has been made to find out those responsible and to punish them; and

(d) if so, the details thereof and if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) Yes, Sir.

(b) Two reports appeared in the Navbharat Times on 24th and 25th May, 1993 containing allegations against a few officers of the BIS. Other complaints of similar nature have also been received.

(c) and (d) Yes Sir. Preliminary enquiries have already been completed in some cases and the same are in progress in the case of others.

Major penalty proceedings have been initiated against two officers under Rule 14 of the CCS (CCA) Rules, 1965. Two officers have been issued written warnings.

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य

1755. श्री अजीत जोगी :
चौधरी हरि सिंह :

क्या नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री 26 जुलाई, 1993 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न 18 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 29 फरवरी, 1993 की स्थिति के अनुसार आवश्यक वस्तुओं जैसे सब्जियों, दालों प्याज आदि के मूल्य उपभोक्ता खुदरा बाजार में क्या थे,

(ख) सरकार इन वस्तुओं को मुद्रा स्फिति के दबाव से बचाने के लिए क्या उपाए करने पर विचार कर रही हैं, और

(ग) उनके क्या परिणाम रहे है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) एक विवरण संलग्न है (नीचे देखिए), जिसमें चुने केन्द्रों में 24-2-93 (निकटतम उपलब्ध तारीख) को आलू, प्याज, चना, तुर के खुदरा मूल्य दर्शाए गए हैं।

(ख) कृषि और सहकारिता मंत्रालय ने स्थान विशेष हेतु किस्मों तथा उन्नत प्रौद्योगिकी को अपना करके दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना आरम्भ की है। दालों के उत्पादन को और समर्थन देने के लिए किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिए जाते हैं। दालों के बारे में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) न्यूनतम मूल्य समर्थन योजना को कार्यान्वयन करने के लिए एक केन्द्रीय नोडल अभिकरण है। सिंचाई की अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था द्वारा सब्जी के बीजों के उत्पादन में वृद्धि के लिए फलों तथा सब्जियों के उत्पादन से संबंधित केन्द्रीय क्षेत्र की योजना कृषि और सहकारिता मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही है। इन वस्तुओं के अधिक उत्पादन से मुद्रास्फीति का दबाव इन वस्तुओं पर कम हो जाएगा।

(ग) इस समय इन वस्तुओं की उपलभ्यता की स्थिति संतोषजनक है। चने को छोड़कर अधिकांश दालों के थोक मूल्य सूचकांकों में प्रतिशत उतार-चढ़ाव एक वर्ष पहले की तुलना में चालू वर्ष के दौरान काफी कम रहा है। सब्जियों के मामले में एक उप समूह के रूप इस वस्तु के थोक मूल्य सूचकांक में 1.8% की वृद्धि दिखाई दी है। प्याज के मूल्य सूचकांक में 17-7-93 की स्थिति के अनुसार गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में ऋणात्मक अंतर (−16.7%) देखा गया है।

विवरण

24-2-93 को चुने केन्द्रों में सब्जियों तथा दालों के खुदरा मूल्य

(रु० प्रति कि०ग्रा०)

केन्द्र	आलू	प्याज	चना	तुर
दिल्ली . . .	2.50	5.50	12.00	14.00
बम्बई . . .	4.00	4.50	13.00	15.00
कलकत्ता . . .	1.60	5.00	11.50	16.00
मद्रास . . .	4.00	4.50	14.40	17.50